

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी, ग्राम जालखेडा की जमाबंदी सन्वत् 2071-74 के खता सं. 101 में सहायकार-दोलीवार्ड पट्टि गणपत की जाति-यमार (जि.ई.) द्वारा जालखेडा-जमाबंदी सन्वत् 2071-74 के खता सं. 19 में सहायकार की जाति मेयवाल (जि.ई.) सम्मानजनक सम्बन्धन के तहत खता सं. 101 में जाति-यमार के खता सं. मेयवाल किना जाना उचित है। दोली-जाति का ड. में जारी है।

28/05/18
30-5-18
SR 03/10/18
29/5/18

10/8/00274

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के आधार पर जाति-यमार के बजाय मेयवाल किना जाना उचित है।
तहसीलदार
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

जा-फ़ 351/18

आदेश

30/05/2018

दृष्टव शय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर ग्राम जालखेडा की जमाबंदी सन्वत् 2071-74 के खता सं. 101 में दोलीवार्ड पट्टि गणपत-यमार के बजाय दोलीवार्ड पट्टि मेयवाल किना जाने के आदेश दिए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा